

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. C/3458
III-10-40/78 -VIII

Jabalpur, dated 21.12.2020

The copy of Rajpatra dated 11.12.2020 containing Notification issued u/s 12(1) of Civil Court Act, 1958, is forwarded to :-

1. The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information.
2. The District and Sessions Judge **Sagar**,
3. District Judge, (Inspection), High Court Premises Jabalpur, JE-1, Judges Enclave, Resident Area, Indore, /28-B Race Course, Near Mela Ground Gwalior,
4. The Principal Registrar/OSD, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur,
5. Registrar (J-I)/ (J-II)/ (D.E.)/ (W&I)/ (A)/ (I&L)/ (Examination and Labour Judiciary)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
6. P.S. to Hon'ble the Acting Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
7. P.S. to Hon'ble Shri Justice
8. P.S. to Registrar General/Principal Registrar(Judl.)/Principal Registrar (Vigilance),/Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
9. P.A. to Director/Additional Director JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
10. Joint Registrar Confidential, Administrative Officer Checker, Criminal Checker/ Work Section/ Budget/ D.E. High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
11. Computer Operator, Confidential Section High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
12. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01.03.2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01.03.2018.


(B.P. SHARMA)
REGISTRAR (D.E.)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 20, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.— स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.— (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग 9

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2020

क्र. ई-1-233-2020-5-एक.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2020 की तालिका के सरल क्रमांक 6 एवं 8 में अंकित भागसे अधिकारियों की पदस्थापना में संशोधन करते हुए निम्न तालिका में उनके नाम के समक्ष खाना—तीन में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना	प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री संघ प्रिय (2018) सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला खरगोन
2.	सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर (2018) सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई, जिला बैतूल

4391

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2020

क्र. C-3011-दो-3-34-2020.—श्री अभिषेक गौर, ओ.एस.डी.(कम्प्युटर), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 27 नवम्बर 2020 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक गौर, ओ.एस.डी.(कम्प्युटर), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिषेक गौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (कम्प्युटर) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-4794-दो-2-87-2018.—श्री दीपक बंसल, रजिस्ट्रार (J-I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 27 नवम्बर 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक बंसल, रजिस्ट्रार (J-I), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

जबलपुर, दिनांक 02 नवम्बर 2020

क्र. सी-2787-तीन-10-40/78 (भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666-तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 36, सिविल जिला सागर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय	सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय		
			स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	सागर	सागर	9	सागर	7	सागर	11
		खुरई	3	खुरई	2	खुरई	3
		रेहली	2	रेहली	1	रेहली	1
		बण्डा	1	बण्डा	3	बण्डा	1*

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था। प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक बंसल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (J-I), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2020

क्र. D-4839-दो-2-60-2014.—श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार (एम.), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 18 से 28 नवम्बर 2020 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 17 नवम्बर 2020 के एवं पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 नवम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार (एम.), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (एम.) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		बीना	2	बीना	1	बीना	2
		देवरी	2	देवरी	1	देवरी	1
						गढ़ाकोटा	1
						शाहगढ़	1

No.-C-2787-III-10-40/78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh no. C/4666/III-10-40/78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-Section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the 'Madhya Pradesh Gazette' dated 16th December, 2016 following amendment is made. In the said notification, in the table, for the Serial number 36, Civil District Sagar the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	Sagar	Sagar	9	Sagar	7	Sagar	11
		Khurai	3	Khurai	2	Khurai	3
		Rehli	2	Rehli	1	Rehli	1
		Banda	1	Banda	3	Banda	1*
		Bina	2	Bina	1	Bina	2
		Deori	2	Deori	1	Deori	1
						Garhakota	1
						Shahgarh	1

जबलपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2020

क्र. डी-3685-तीन-10-40/78 (भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666-तीन-10-40/78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 17, सिविल जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	पूर्व निमाड़ खण्डवा	खण्डवा	4*	खण्डवा	8	खण्डवा	9
		हरसूद	1	हरसूद	1	हरसूद	2
				पुनासा	1		

No.-D-3685-III-10-40/78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh no. C/4666/III-10-40/78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the 'Madhya Pradesh Gazette' dated 16th December, 2016 following amendment is made. In the said notification, in the table, for the Serial number 17, Civil District East Nimar Khandwa the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	East Nimar Khandwa	Khandwa	4*	Khandwa	8	Khandwa	9
		Harsood	1	Harsood Punasa	1 1	Harsood	2

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई.)